

(अंग्रेजी मालिक)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर

कार्यालय – आदेश

राज्य सरकार स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर आदेश क्रमांक प.9(2)शिक्षा-5/05 दिनांक 16.03.2011 व 21.04.2011 एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बोनारे के आदेश क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/19626/11-12 दिनांक 18.03.2011 व 25.04.2011 के अनुपालना में

અંગ્રેજી પ્રાચીન વિજન/વાળું સિરલ ફોર્મફુર

..... को (हिन्दी भाष्यम्/अंग्रेजी माध्यम) प्राथमिक विधालय से उच्च प्राथमिक विधालय में क्रमान्वत् करने हेतु प्राप्त आवेदन -पत्र प्रस्तुत कर राज्य सरकार द्वारा वर्णित क्र.सं. 1 से 5 तक में निर्देशि शातौं व पालना करने बाबत् प्रस्तुत शपथ-पत्र (अप्डर टेकिंग) एवं समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर संस्था का आवेदन पत्र निम्न शातौं के आधार पर स्वीकार किया जाता है:-

- 18 पर स्पॉकार लेता है:-

 - 1- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था के नियम -1993 के परिशिष्ट-2 में यथा निर्देशित निबन्धकों तथा शर्तों की पूर्ति करने बाबत प्रस्तुत शपथ-पत्र के अनुसार सभी शर्तें पूर्ति करती है।
 - 2- संस्था द्वारा राज्य सरकार/आयुक्त,प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-2 उनके द्वारा मांगी जाने वाली प्रत्येक सूचना समय पर प्रेषित की जावें।
 - 3- संस्था के विधार्थी किसी अन्य गैर सरकारी संस्था अथवा सरकारी विधालय में प्रवेश पा सकेंगे, किन्तु संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित समान परीक्षा उत्तर्ण करनी होगी।
 - 4- संस्था को प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर में सत्र 2011-12 से क्रमान्वयन की जावेगी, क्रमान्वयन प्रथम सत्र में कक्षा-6 में, सत्र 2012-13 में कक्षा-7 में, एवं सत्र 2013-14 में कक्षा-8 प्रारम्भ की जावेगी।
 - 5- कक्षानुसार शत प्रतिशत प्रशिक्षित अध्यापक मानदण्डानुसार किये जावेंगे।
 - 6- भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रति वर्ष संक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावेगा।
 - 7- दिनांक 30 सितम्बर के आधार पर प्रत्येक वर्ष नामांकन एवं वित्तिय वर्ष की समाप्ति पर आय-व्यय विवरण स्थानीय कार्यालय की संबंधित शाखा में प्रस्तुत करेंगे।
 - 8- कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन भत्तों आदि की सुविधा दी जावें।
 - 9- शिक्षा से वंचित परिक्षेत्र के बच्चों को आपकी शाला से अनिवार्य रूप से जोड़कर सूची इस कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।
 - 10- शपथ पत्र वर्णित तथ्यों की असत्यता पाई जाने पर उक्त जारी प्रमाण-पत्र/आदेश निरस्त किया जा सकेगा और संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
 - 11- माननीय न्यायालय के पूर्वनुमति के शिक्षा सत्र 2011-12 में शुल्क वृद्धि नहीं करेगी, जो पूर्व में लिया जा रहा था, वही शुल्क लिया जावेगा। यदि कोई शुल्क बढ़ा कर लिया जावेंगा, जो माननीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध होगा। उक्त आदेशों की पालना में किसी भी प्रकार का शिथिलता बरती जाने की स्थिति में इसे गंभीरता से लिया जायेगा।
 - 12- अग्निशमन संयंत्रों की स्थापना कर कार्यालय को आवश्यक रूप से अवगत करावें।
 - 13- शिक्षा अधिकार नियम 2010 के प्रावधानुसार छात्रों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा।
 - 14- हाईटेंशन लाईन एवं मोबाइल टॉवर विधालय भवन में नहीं लगाया जावें।
 - 15- बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत धारा 19 व 25(विद्यालय के लिये मान और 'मानक')की पालना एक वर्ष से कर अवगत कराना होगा अन्यथा मान्यता स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।

क्रमांक:जिशिअ / जय / प्राशि / सा-१ / फा-

/मान्यता/ 11-12/

469

दिनांक 28/6/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

- शासन उपसचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
 - निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
 - शिक्षा उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर।
 - संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी,
 - सचिव, अनलो इन्टरनेशनल स्कॉलर एजर्सी करारिया फार्म
 - शक्ति पत्रावली।

ਮਿਠਾਨਾ ਵਾਲਾ ਸਿਰਸੀ ਕੇਤੇ ਅਚੁਪੂਰ


जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।